संख्या-93/2018/884//26-3-2018

प्रेषक,

कामता प्रसाद
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 29 मार्च, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र मद में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पी0एल0सी0 आधारित बैक्ट्रोलाजिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1713/स0क0/अ0प0वि0-प्रकोष्ठ/आर0ओ0-वाटर प्लान्ट/2017-18, दिनांक-19.03.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र मद में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पी0एल0सी0 आधारित बैक्ट्रोलाजिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु प्रति विद्यालय रू0-18.47 लाख की दर से कुल 44 विद्यालयों हेतु (तालिकानुसार) कुल रू0-812.68 लाख (रू0 आठ करोड़ बारह लाख अडसठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	विद्यालय का नाम एवं स्थान
1	राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, भोगांव, मैनपुरी।
2	राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, जेहलपुर फिरोजाबाद।
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुसेपुर आजमगढ़।
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बस्तौरा बलिया।
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नारायणपुर प्रतापगढ़।
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खासमऊ फतेहपुर।
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नगला हीरालाल इटावा।
8	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मोहम्मदाबाद फर्रूखाबाद
9	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिरसिया कुशीनगर।
10	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, पडरौना कुशीनगर
11	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मेहरौना देवरिया।
12	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मानिकपुर चित्रकूट
13	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बबेरू बांदा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चरखारी महोबा।
15	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हमीरपुर।
16	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बबीना जालौन।
17	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कोछाभांवर झांसी।
18	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, तालबेहट ललितपुर
19	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जेलरोड़ गोण्डा।
20	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, समरेर बदांयू।
21	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, भोजीपुरा बरेली।
22	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, भानपुर बस्ती।
23	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, धनगड़िया सिद्धार्थनगर।
24	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, धौलागढ़ बिजनौर
25	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सम्भल
26	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद
27	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रामपुर।
28	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बुलन्दशहर
29	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मेरठ।
30	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लखीमपुरखीरी।
31	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रैन रायबरेली।
32	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौगढ़ चन्दौली
33	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गोलाघाट चन्दौली।
34	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ग्यासपुर जौनपुर।
35	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुद्वी सोनभद्र।
36	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया भदोही।
37	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जौला डिडौली सहारनपुर।
38	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सेखुई कलां बलरामपुर।
39	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रिसिया बहराईच।
40	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भिन्गा श्रावास्ती।
41	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अम्बेडकरनगर।
42	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, फैजाबाद।
43	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सुल्तानपुर।
44	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अमेठी।

1-स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ0) से तत्काल एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराकर, धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों/शासनादेशो/आदेशों मे निहित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हु ये न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर निर्धारित प्रक्रियानुसार सयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करायी जायेगी।

3- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

4-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

5-न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समयान्तर्गत शासन को समर्पित की जायेगी।

6-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

7-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2017-18 में नही की जायेगी।

8-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र व्यय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

कामता प्रसाद
उप सचिव।

<u>संख्या-93/2018/884(1)/26-3-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ) उ0प्र0शासन।
4 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

10- वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ।

11- निदेशक, एन0आई0सी0।

12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन/अनुश्रवण प्रकोष्ठ बेसिक शिक्षा।

13- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) **वित्तीय वर्ष 2017-2018** **(धनराशि लाख रू0 में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(के.60/रा.40-के.+रा.)- 24-वृहत निर्माण कार्य-	8926.87	812.68	812.68	812.68	8114.19
योग	8926.87	812.68	812.68	812.68	8114.19

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय- 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र-	277.05	1089.73	812.68	812.68	1089.73
योग	277.05	1089.73	812.68	812.68	1089.73

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0- 746 दस-2018, दि0 29.3.18

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(कामता प्रसाद)
उप सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 93/2-वि/324 (1)/26–3–2018–94मंत्री/2018–दिनांक मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
9– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा।
10– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।